Need to enhance the honorarium of Anganwadi workers and improve their service conditions.-laid

श्री जगदम्बिका पाल **(डुमरियागंज) :** आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं देश के सामाजिक विकास में अहम भूमिका निभा रही हैं । वे केवल पोषाहार वितरण तक सीमित नहीं हैं, बल्कि 3-6 वर्ष के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं की देखभाल और विभिन्न सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में योगदान देती हैं । पूरे भारत में 12.93 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और 11.64 लाख सहायिकाएं कार्यरत हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में यह संख्या क्रमशः 1.54 लाख और 1.32 लाख है । बावजूद इसके, इन्हें मात्र ₹6,000 मासिक मानदेय मिलता है, जो अपर्याप्त है । Maternity Benefit (Amendment) Act, 2017 के तहत अन्य महिला कर्मचारियों को 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश मिलता है, लेकिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को यह सुविधा नहीं दी जाती । सुप्रीम कोर्ट (Case No. 3153/2022) और गुजरात उच्च न्यायालय (Special Civil Application No. 8164/2024) ने स्पष्ट किया है कि आंगनवाड़ी केंद्र सरकार की विस्तारित इकाई हैं और कार्यकर्ताओं को तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी का वेतन मिलना चाहिए । अतः सरकार से आग्रह है कि इनके मानदेय में वृद्धि की जाए, मातृत्व एवं ग्रीष्मकालीन अवकाश दिया जाए और सेवा शर्तों को नियमित किया जाए, जिससे उनके अधिकार सुरक्षित हों और समाज के समग्र विकास को बल मिले ।